

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 17/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

हनुमानराम वगैरा बनाम दुगराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री नरेश भादू

निर्णय

दिनांक - 28.05.2018


पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प श्रीरामवाला में पेश हुई। वकील मय प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी सं. 10 उप.। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा कुम्भोणियों का तला, पटवार क्षेत्र श्रीरामवाला, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 263 रकबा 72.17 बीघा, खसरा सं. 261 रकबा 01.08 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा कुम्भोणियों का तला, पटवार क्षेत्र श्रीरामवाला, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 263 रकबा 72.17 बीघा, खसरा सं. 261 रकबा 01.08 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल व्त्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प श्रीरामवाला में सुनाया गया।


(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ ~~12508~~
प्रार्थीगण :-

1. हनुमानराम पुत्र हेमाराम 2. हीरोदेवी पत्नि हेमाराम
3. भगाराम पुत्र अखाराम 4. ओमप्रकाश 5. सोनाराम
6. भोमाराम पि. लालाराम 7. चून्नीदेवी पत्नि लालाराम
8. पूनमाराम पुत्र किशनाराम 9. खेताराम 10. शेम्भूराम
पि. पन्नाराम, जाति जाट, निवासी कुम्भाणियों का
तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

दिनांक 04/6/18

विप्रार्थीगण:-

1. दुर्गाराम 2. हरीराम पि. तेजाराम 3. नीम्बाराम पुत्र
पेमाराम 4. मूलाराम 5. दमाराम 6. जगमालराम पि.
नेनूराम 7. मगनाराम 8. धुड़ाराम पि. हरजीराम
9. सताराम पुत्र पदमाराम 10. रामाराम पुत्र
केसराराम, जाति जाट, निवास श्रीरामवाला,
तहसील चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन सं. 17/2018 दिनांक : 28.05.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र
धनाऊ के मौजा कुम्भोनियो का तला खेत खसरा सं. 263 रकबा 72.17 बीघा, खसरा सं. 261 रकबा
01.08 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों
पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न
हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा
काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।
नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और
उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर
कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ ~~12508~~
प्रतिलिपि :- 1251 to 54

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण हनुमानराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण दुर्गाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

04/6/18

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन